

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

(कार्य पूरक प्रमाण पत्र)

(राज्य सरकार से अनुबंधित लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता / स्वामी का नाम

पिता / पति का नाम

282

पता

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली

(1) वोलता

(2) कलाओं (फेजों) की संख्या

(3) ए० सी / डी० सी

वायरिंग का प्रयोजन-

वायरिंग का प्रकार (बैटन, कन्ड्युट इत्यादि)

संस्थापन की विशिष्टियाँ :-

क्रम संख्या	आइटम	220/ 230 वोल्ट्स						400/ 440 वोल्ट्स	उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन		
		फेज 1		फेज 2		फेज 3					
		संख्या	कुल बाद्दस	संख्या	कुल बाद्दस	संख्या	कुल बाद्दस				
1.	बत्तियों के खाइंट	$24 \times 60 = 144$									
2.	पंखों के खाइंट										
3.	एलग खाइंट										
4.	मोटर/ जनरेटर										
5.	फिज/ कूलर										
6.	टीवी										
	ए०सी०										
	योग										

II अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया जाये)

(1)

(2)

कुल संयोजित भार किलो वाट में -

५७ K.W.

अधिकतम करंट मांग एम्पियर में -

१२ A

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

के.जी. एसोसिएट

मीराबस्ती शाहाबाद-हरदोई

CLASS ASSOCIATE

Gaurav Singh
Proprietor

विद्युत का रिसाव (विद्युतरोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मेगा ओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये)।

ठेकेदार द्वारा विद्युतरोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम—

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

(i) फेज एवं अर्थ के बीच—

(ii) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच—

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

(iii) तारों के मध्य—

नियम 29—

- (1) बताये कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संरक्षण की व्यवहार संहिता के अनुसार है।
- (2) बताये कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्थितियों द्वारा नियंत्रित है।
- (3) बताये कि समस्त स्थिति विद्युतमय चालकों पर लगाये गये हैं।

नियम 32—

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के मूलम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक को विद्युतमय (जीवन्त) चालक से सुभिन्न किया जा सके।

सत्यापन प्रमाण- पत्र

मैं/ गौरव सूरी लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेंस संख्या HI-124

निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं—

- (अ) कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन टेरिटंग का कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- (ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युत रोधी प्रतिरोधी का परीक्षण मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
- (ग) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 एवं भारतीय मानव संरक्षण की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।
- (द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है—
वायरमैन का नाम

पर्यवेक्षक का नाम

प्रमाण पत्र सं०

वैद्यता की तिथि

गौरव सूरी

17.7.14

13/11/2014

हस्ताक्षर

वायरमैन का नाम

प्रमाण पत्र सं०

वैद्यता की तिथि

गौरव सूरी

विद्युत रोधी

19/11/2014

के.जी. एसोसिएट
मीरा बस्ती शाहाबाद
विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम
लाइसेंस संख्या-HI-124
लाइसेंस श्रेणी- क
वैधता का दिनांक 31-3-2024

ठेकेदार के हस्ताक्षर

-: घोषणा :-

(उपभोक्ता द्वारा की जाय)

M.G ASSOC.
Gaurav Chauhan
Proprietor

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत, 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य पर्याज की अधिकतम क्षमता 1.25 एम्पियर से अधिक नहीं है तथा विस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवरलोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर की जायेगी।

दिनांक 17/01/2024

उपभोक्ता का नाम व हस्ताक्षर

-: परीक्षण रिपोर्ट :-

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिणाम-

1. फेज एवं अर्थ के बीच-

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

2. तार के बीच-

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियाँ (यदि कोई) हो एवं कमियाँ को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

दिनांक:.....

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणरता का नाम एवं हस्ताक्षर:
पदनाम:

-: विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक :-

निरीक्षण का परिणाम

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और

पदनाम